ई–मेल / डाक / आवश्यक

राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)

क्रमांकःएफ1(5)III / सी / इलेक / एफएलसी / 2013 / 419 जयपुर, दिनांक 11.02.2013

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषित : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) राजस्थान।

विषय : आगामी विधानसभा आम चुनाव का दृष्टिगत रखते हुए इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों की प्रथम स्तरीय जॉच हेतु स्थान एवं मैन–पावर चिन्हित करने के विषय में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत जैसा कि आपको विदित है कि इस वर्ष के अन्त में विधानसभा के लिए आम चुनाव सम्पन्न होगें। उक्त आम चुनाव ईवीएम के माध्यम से करवाए जायेगें। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार यथास्थिति राज्य में उपलब्ध ईवीएम या नई ईवीएम आवंटित होने की स्थिति में जिले में उपलब्ध सभी ईवीएम की प्रथम स्तरीय जॉच भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देश क्रमांक 51 / 8 / 16 / 4 / 2010–ईएमएस दिनांक 04 अगस्त, 2010 में दिये गये निर्देशानुसार निर्माता फर्म के इंजीनियर्स एवं टेक्नीशियनों के द्वारा किया जायेगा। कृपया आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का अवलोकन कर लें।

जिले में उपलब्ध ईवीएम की प्रथम स्तरीय जॉच के विषय में जिला स्तर पर इस कार्य हेतु एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति अभी से कर ले, जो कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर के पद से नीचे का न हो तथा इस कार्य हेतु मैन–पावर एवं हॉल / स्थान का चयन कर लें जिससे कि यथा समय निर्देश प्राप्त होने पर प्रथम स्तरीय जॉच के विषय में कार्यवाही की जा सकें।

भवदीय,

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।